

सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधनियिम (AFSPA)

प्रलिमिंस के लयि:

सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधनियिम (AFSPA)

मेन्स के लयि:

सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधनियिम (AFSPA) और संबंघति मुददे, वभिनिन सुरक्षा बल और एजेंसियाँ और उनका जनादेश, आंतरकि और सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद

चर्चा में क्यो?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने अरुणाचल प्रदेश तथा नगालैंड के कुछ हसिसों में सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधनियिम (AFSPA) को और छह महीने के लयि बढ़ा दयि है।

सशस्त्र बल (वशेष शक्तियाँ) अधनियिम (AFSPA):

■ पृष्ठभूमि:

- **भारत छोड़ो आंदोलन** के दौरान वरिध प्रदर्शनों को दबाने के लयि बनाए गए ब्रिटिश-काल के कानून का पुनर्गठन, AFSPA 1947 में चार अध्यादेशों के माध्यम से जारी कयि गया था।
- अध्यादेशों को वर्ष 1948 में एक अधनियिम द्वारा प्रतस्थापति कयि गया था और पूरवोत्तर में प्रभावी वर्तमान कानून को वर्ष 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत द्वारा संसद में पेश कयि गया था।
- इसे शुरू में **सशस्त्र बल (असम और मणपुर) वशेष अधिकार अधनियिम, 1958** के रूप में जाना जाता था।
- **अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मज़ोरम और नगालैंड राज्यों** के अस्तित्व में आने के बाद अधनियिम को इन राज्यों पर भी लागू करने के लयि अनुकूलति कयि गया था।

■ परचिय:

- AFSPA सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले कसि भी व्यक्तिको मारने तथा बनि वारंट के कसि भी परसिर की तलाशी लेने एवं अभयिजन तथा कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ नरिंकुश अधिकार देता है।
- नगाओं के वद्विरोह से नपिटने के लयि यह कानून पहली बार वर्ष 1958 में लागू हुआ था।
- अधनियिम को वर्ष 1972 में संशोधति कयि गया था और कसि क्षेत्र को "अशांत" घोषति करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई थीं।
- त्रपुरा ने वर्ष 2015 में अधनियिम को नरिस्त कर दयि तथा मेघालय 27 वर्षों के लयि AFSPA के अधीन था, जब तक कइसे 1 अप्रैल, 2018 से MHA द्वारा नरिस्त नहीं कर दयि गया।
- वर्तमान में AFSPA असम, नगालैंड, मणपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हसिसों में लागू है।

■ अधनियिम को लेकर वविद:

○ मानवाधिकारों का उल्लंघन:

- कानून गैर-कमीशन अधिकारियों तक, सुरक्षाकर्मियों को बल का उपयोग करने और "मृत्यु होने तक" गोली मारने का अधिकार देता है, यद्वि आश्वस्त हैं कि "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" के लयि ऐसा करना आवश्यक है।
- यह सैनिकों को बनि वारंट के परसिर में प्रवेश करने, तलाशी लेने और गरिफ्तारी करने की कार्यकारी शक्तियाँ भी देता है।
- सशस्त्र बलों द्वारा इन असाधारण शक्तियों के प्रयोग से अक्सर अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर फरजी मुठभेड़ों और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं, जबकि नगालैंड एवं जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में AFSPA के अनशिचतिकालीन लागू होने पर सवाल उठायि गया है।

○ जीवन रेड्डी समतिकी सफारिशें:

- नवंबर 2004 में केंद्र सरकार ने पूरवोत्तर राज्यों में अधनियिम के प्रावधानों की समीक्षा के लयि न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समतिकी गठति की।

- समिति की मुख्य सफ़ारिशें इस प्रकार थीं:
 - AFSPA को नरिस्त क़िया जाना चाहयि और [गैर-कानूनी गतविधियि \(रोकथाम\) अधनियिम, 1967](#) में उचति प्रावधान शामिल कयि जाने चाहयि ।
 - सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिकि बलों की शक्तियि को स्पष्ट रूप से नरिदषिट करने हेतु गैरकानूनी गतविधि अधनियिम को संशोधति कयि जाना चाहयि तथा प्रत्येक ज़िले में जहाँ सशस्त्र बल तैनात हैं, शकियत प्रकोषट स्थापति कयि जाने चाहयि ।
- दूसरी ARC की सफ़ारिशें: सार्वजनिकि वयवस्था पर दूसरे प्रशासनिकि सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट में भी AFSPA को नरिस्त करने की सफ़ारिशि की गई है । हालाँकि इन सफ़ारिशिों को लागू नहीं कयिा गया है ।

अधनियिम पर सर्वोच्च न्यायालय के वचिर:

- वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक नरिणय (नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ हयूमन राइट्स बनाम यूनयिन ऑफ इंडयिा) में AFSPA की संवैधानक़िता को बरकरार रखा है ।
- इस नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि-
 - केंद्र सरकार द्वारा स्व-प्रेरणा से घोषणा की जा सकती है, हालाँकि यह वांछनीय है कि घोषणा करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श लेना चाहयि ।
 - घोषणा एक सीमति अवधकि लयि होनी चाहयि और घोषणा की समय-समय पर समीक्षा हेतु 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई है ।
 - AFSPA द्वारा प्रदत्त शक्तियिों का प्रयोग करते समय प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहयि ।

आगे की राह

- वर्षों से कई मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के कारण अधनियिम की यथास्थिति अब सवीकार्य समाधान नहीं है । AFSPA उन क़्षेत्रों में उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है जहाँ इसे लागू कयिा गया है, इसलियि सरकार को प्रभावति लोगों को संबोधति करने और उन्हें अनुकूल कार्रवाई के लयि आश्वस्त करने की आवश्यकता है ।
- सरकार को मामले-दर-मामले आधार पर AFSPA को लागू करने और हटाने पर वचिर करना चाहयि तथा पूरे राज्य में इसे लागू करने के बजाय केवल कुछ सवेदनशील ज़िलों तक सीमति करना चाहयि ।
- सरकार और सुरक्षा बलों को [सर्वोच्च न्यायालय](#), जीवन रेड्डी आयोग और [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) द्वारा नरिधारति दिशा-नरिदेशों का भी पालन करना चाहयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. मानवाधिकार सकरयितावादी लगातार इस वचिर को उजागर करते हैं कि सशस्त्र बल (वशिष शक्तियिों) अधनियिम, 1958 (AFSP) एक क्रूर अधनियिम है, जसिसे सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार के दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं । इस अधनियिम की कौन-सी धाराओं का सकरयितावादी वरिोध करते हैं? उचचतम न्यायालय द्वारा वयक्त वचिर के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजयि । (2015)

[स्रोत: द हट्टि](#)